Cancelled

C.S.[illegible]

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुर्नाविलोकन प्रकरण क्रमांक /2009 जिला–रीवा रिव्यू 1296-III/09

(1) प्राणनाथ मिश्रा पुत्र श्री शिवकुमार मिश्रा

(2) रामदयाल मिश्रा पुत्र श्री शिवकुमार मिश्रा

निवासीगण ग्राम भुअरी तहसील हनुमना, जिला–रीवा (म.प्र.)

...... आवेदकगण

विरूद्ध

(1) प्रभात कुमार

(2) उमाकान्त

(3) कृष्णकान्त पुत्रगण कैलाशप्रसाद मिश्रा

निवासीगण ग्राम भुअरी तहसील हनुमना, जिला–रीवा (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

अभिभावक द्वारा आवेदक के न्याय निर्णय का टैक्स चस्पा नहीं किया

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी - एडवोकेट
द्वारा आज दि० 22-9-09 को प्रस्तुत।

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

R.Chaturvedi 22/9/09

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 488-III/08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28.08.2009 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुर्नाविलोकन आवेदन–पत्र।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, आवेदकगण द्वारा आराजी नं. 394 रकवा 0.73 एकड़, 454/2 रकवा 0.60, 679/2 रकवा 0.88 एकड़ के विभाजन हेतु आवेदन–पत्र तहसीलदार हनुमना के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था तहसील न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 25.08.2005 द्वारा आवेदकगण के हित में अभिलेख सुधार किये जाने बाबत आदेश प्रदान दिये गये थे।

2– यहकि, तहसीलदार हनुमना के आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी तहसील हनुमना के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 117/अ–27/05–06 प्रस्तुत की गई जो अनुविभागीय अधिकारी हनुमना द्वारा अपने आदेश दिनांक 06.07.2007 द्वारा स्वीकार की गई। यह अपील मात्र इस आधार पर स्वीकार की गई थी कि तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदकगण को सुनवाई का विधिवत् अवसर प्रदान नहीं किया गया था जबकि वास्तविकता यह है कि अनावेदकगण को सुनवाई का विधिवत् अवसर प्रदान किया गया था एवं उनके

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक रिव्यू 1284–दो/09 जिला–रीवा

स्थान तथा दिनांक	मार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–6–14	आवेदक की ओर से श्री के.के.द्विवेदी, अभि. उप. । आवेदक अभि. को अना. को रजिस्टर्ड डाक से सूचना देने के लिये रजिस्टर्ड डाक का लिफाफा प्रस्तुत करने के लिये कई बार आदेश दिये जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके द्वारा आदेश का पालन नहीं किया गया है । अतः आवेदक अभि. द्वारा आदेश का पालन न करने की दशा मे प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	